न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी– श्री इन्द्र सिंह राव (आई०ए०एस०)

प्रकरण संख्या– 236 / 2014

बउनवान

मुकेश पुत्र नन्दकिशोर जाति–मीणा निवासी बैगना
तहसील–बारां जिला–बारां (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार,बारां (रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री जितेन्द्र नागर, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

जिला कलेक्टर बारां (राज०)

निर्णय दिनांक– 27.05.2019

1– अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां के आदेश दिनांक 27.03.2014 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956 के तहत प्रस्तुत कर अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम–बैंगना, तहसील–बारां की आराजी खसरा नम्बर 388,387,351 कुल रकबा 2.30 हैक्टर किस्म चारागाह पर अतिकमी मानकर 1725/–रूपये अर्थदण्ड एंव 90 दिन के सिविल कारावास की सजा से दंडित किया गया है।

अपील में लिखा है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली में विद्यमान तथ्यों एंव दस्तावेजों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पश्चात्वर्ती अतिक्रमी घोषित करने से पूर्व, पूर्व में प्रार्थी को कब बेदखल किया काई प्रमाण पत्रावली में मौजूद नहीं है। इसलिये अपीलांट को पश्चात्वर्ती अतिकमी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व्यवहार प्रकिया के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। निर्णय परफोर्मा पर आधारित है जो निर्णय की परिभाषा में नहीं आता है। अपीलांट ने उक्त आराजी से कब्जा छोड दिया है। वर्तमान में उक्त भूमि खाली पडी हुई है। तावान राशि जमा करा दी गयी है। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि के प्रावधानों के विपरीत निर्णय पारित किया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया। अभिलेख प्राप्त होने पर अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3— बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नोटिस की तामील प्रोपर नहीं करायी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेही का कोई अवसर नहीं दिया है एकपक्षीय निर्णय पारित किया है। निर्णय परफोर्मा पर है जिसे विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। अपीलांट ने विवादित आराजी से कब्जा छोड दिया है वर्तमान में कोई अतिक्रमण नहीं है, भूमि पडत पडी हुई है। उसके विरूद्व कोई तावान राशि भी बकाया है। अपीलांट भविष्य में उक्त आराजी पर कभी कब्जा नहीं करने के लिए वचनबद्ध है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 27.03.2014 निरस्त फरमाया जावे।

4— इसके विपरीत पेरोकार सरकार ने अपीलांट के कथन का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 103/12 निर्णय दिनांक 15.05.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

5— हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया। इससे पाया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर निर्णय पारित किया है। विवादित आराजी चारागाह है जिसपर अपीलांट द्वारा पश्चात्वर्ती अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर अतिक्रमी पाये जाने पर मिसल नम्बर 103/12 निर्णय दिनांक 15.05.2012 से बेदखल किया जाना प्रमाणित है। अतः स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त प्रश्नगत आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने के फलस्वरूप हीं सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

6— परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, बारां द्वारा प्रकरण संख्या 637/14 में पारित आदेश दिनांक 27.03.2014 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2019 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

(इन्द्र...)
जिला कलेक्टर,बारां

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official